

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर, जिला - बिलासपुर, (छ.ग.)
क्रमांक / अविअ / वा-1 / 2025 / 568

प्रारूप-ड.
(नियम 7(2) देखिये)
अनुज्ञा

तखतपुर, दिनांक 04/2025

202504075200018

प्रति,

श्रीमती पुष्पा मेघानी पति डॉ गुरमुख दास मेघानी
निवासी बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- रोपित किये गये वृक्षों की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषान्तर्गत आपका निवेदन आवेदन दिनांक 24.01.2024 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन जारी किया गया। वन विभाग एवं राजस्व निरीक्षक के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

- 1.- ग्राम लोखण्डी प.ह.न. 54 खसरा नंबर 401/क, 408/ख, 408/1ग, 407/2, 408/3, 412/2, 412/3, 418/3, कुल रकबा 2.160 हे० में कृषि के रूप में लगभग 7000 सागौन प्रजाति के वृक्ष रोपित किये गये हैं। जिसमें से 3500 से 3000 के आसपास वृक्ष सूख कर एवं खराब होकर गिर गये हैं।
- 2.- खाते पर प्राकृति रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या - निरंक है।
- 3.- खाते पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या - सागौन है।
- 4.- पूर्व में इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुशंसा निरंक है।
- 5.- खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या - निरंक है।
- 6.- कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-सागौन 1882 नग है।
- 7.- नियम 2 की लागू कंडिका - निरंक है।

अतः अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम लोखण्डी प.ह.न. 54 खसरा नंबर 401/क, 408/ख, 408/1ग, 407/2, 408/3, 412/2, 412/3, 418/3, कुल रकबा 2.160 हे० में कृषि के रूप में लगभग 7000 सागौन प्रजाति के वृक्ष रोपित किये गये हैं। जो कांटे जानें पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अनुसार वृक्षों को काटे जानें पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 9 संन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) कं अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम 2001, का पालन नहीं किये जानें पर यह अभिमत शून्य होगी।

यह अभिमत आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।



क्रमांक / अविअ / वा-1 / 2025 / 569

प्रतिलिपी :-

- 1.-कलेक्टर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं सादर संप्रेषित।
- 2.-वनमंडलाधिकारी, वनमंडल, बिलासपुर बिलासपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3.- तहसीलदार सकरी को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

तखतपुर, दिनांक 04/2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)